भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3622
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले

†3622. **श्री विजय कुमार हाँसदाक**:
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों (ईबीडी) के रूप में आधिकारिक रूप से चिह्नित किए गए जिलों की राज्य-वार कुल संख्या और नाम क्या हैं;
(ख) उन सामाजिक-धार्मिक और हाशिए पर रहने वाले समुदायों का ब्यौरा क्या है जो राज्यों के इन अभिनिर्धारित जिलों में सबसे कम साक्षरता और विद्यालय नामांकन दर को दर्शाते हैं;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में शैक्षिक अवसंरचना में सुधार लाने के उद्देश्य से कौन-कौन सी विशिष्ट केन्द्रीय योजनाएं चलाई गई हैं, इनके लिए बजटीय आवंटन और वित्त का उपयोग किया गया है; और
(घ) सरकार द्वारा इन विशिष्ट समुदायों के बीच शैक्षिक पिछड़ेपन को कम करने के लिए विद्यालय सुविधाओं, डिजिटल अवसंरचना और शिक्षकों की तैनाती के लिए क्या लक्षित कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) एवं (ख)**:** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना - स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत योजना को लागू करता है, यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जो प्री-स्कूल से कक्षा XII की शामिल करता है। यह योजना के विभिन्न मध्यवर्तनों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश (कार्यक्रम संबंधी/वित्तीय) निर्धारित करता है ताकि यह सुनिश्चित करने क प्रतिबद्धता को बल देता है कि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक न्यायोचित और समावेशी कक्षा वातावरण मिल सके और उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी जरूरतों, अलग-अलग शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जा सके तथा और उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यथापरिकल्पित अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जा सके।

इस विभाग ने पूर्ववर्ती सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) की पहचान की थी, जहां महिला ग्रामीण साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम थी। पूर्ववर्ती सर्व शिक्षा अभियान के तहत वंचित समूहों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के छात्राओं के लिए अपर प्राइमरी स्तर पर आवासीय स्कूलों के रूप में ईबीबी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) स्वीकृत किए गए थे।

जनवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा पिछड़े जिलों के सामाजिक परिणामों में सुधार के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत के साथ, सरकार के कार्यक्रम अब देश के आकांक्षी जिलों में अवसंरचना की कमियों को दूर करने और अधिगम के परिणामों में सुधार करने के अनुरूप हैं। न्यायोचित और गुणवत्तापूर्ण स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मध्यवर्तनों के कार्यान्वयन में आकांक्षी जिलों के अलावा, शैक्षिक अंतराल और असमानताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) के तहत शुरू की गई केजीबीवी जैसी पहलों को सम्मिलित करने के लिए समग्र शिक्षा के तहत उचित प्राथमिकता भी दी जाती है।

26 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र के 112 आकांक्षी जिलों की सूची का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते, नीति आयोग आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज पोर्टल https://championsofchange.gov.in/) का रखरखाव करता है। आकांक्षी जिलों के लिए शैक्षिक संकेतकों का जिला-वार ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

(ग) एवं (घ): समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, यह विभाग डिजिटल अवसंरचना सहित चिह्नित अवसंरचना की कमियों को दूर करके सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई+) में परिलक्षित कमियों और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत शिक्षा के लिए वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है।

समग्र शिक्षा योजना के तहत सभी आकांक्षी जिलों का वर्ष-वार वित्तीय आवंटन और उपयोग की स्थिति इस प्रकार है;

2024-25		2025-26		2026-27*	
आवंटन (करोड़ रूपए में)	**व्यय (करोड़ रूपए में)**	**आवंटन (करोड़ रूपए में)**	**व्यय (करोड़ रूपए में)**	**आवंटन (करोड़ रूपए में)**	**व्यय (करोड़ रूपए में)**
11,512.28	8,318.14	12,221.22	8,343.08	6,149.34	1,190.01

स्त्रोत : प्रबंध पोर्टल से लिया गया (*यह आंकड़ा जुलाई 2026 तक है, क्योंकि जिलों को निधियों का आवंटन वर्तमान में किया जा रहा है)

सरकार विशेष रूप से शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में स्कूल अवसंरचना, डिजिटल सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को मजबूत करने के लिए, लगातार और लक्षित उपाय कर रही है। समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल की अवसंरचना के निर्माण और वृद्धि के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अतिरिक्त कक्षाएं, पेयजल, हाथ धोने और शौचालय सुविधाएं, इंटरनेट, बिजली, आईसीटी प्रयोगशालाएं और स्मार्ट क्लासरूम आदि शामिल हैं, जो संबंधित वर्ष की वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर होती हैं। इसके अलावा, दीक्षा (डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को मजबूत किया जा रहा है, जो पाठ्यक्रम-अनुरूप डिजिटल विषय-वस्तु, ई-पुस्तकों, शिक्षक प्रशिक्षण संसाधनों और अन्य शिक्षण सामग्री प्रदान करता है, जिससे प्रौद्योगिकी द्वारा सक्षम शिक्षा को आसान बनाया जा सके और शिक्षकों और छात्रों का सहयोग किया जा सके जिनमें दूरस्थ एवं अल्पसेवित क्षेत्रों के शिक्षक और छात्र शामिल हैं।

चूंकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है, इसलिए शिक्षकों की भर्ती, तैनाती, सेवा शर्तें और व्यावसायिक विकास संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तथापि, समग्र शिक्षा के तहत, योजना के मानदंडों के अध्यधीन निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर), उनकी क्षमता वृद्धि और निरंतर व्यावसायिक विकास को बनाए रखने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, समग्र शिक्षा में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य शैक्षिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित छात्रों जिनमें आकांक्षी जिलों में रहने वाले छात्र शामिल हैं, के लिए न्यायोचित पहुंच, भागीदारी और अधिगम के परिणामों को बढ़ावा देने के लिए मध्यवर्तनों का प्रावधान है। इन मध्यवर्तनों का ब्यौरा इस प्रकार है:

i. **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)**: समग्र शिक्षा के तहत, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का प्रावधान है। केजीबीवी शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों

(ईबीबी) में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य जैसे सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय हैं। इस योजना का उद्देश्य बोर्डिंग सुविधाओं के साथ आवासीय स्कूल स्थापित करके प्रारंभिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एसईडीजी के छात्राओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना और लैंगिक अंतर को कम करना है। वर्तमान में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 5,307 केजीबीवी कार्यात्मक हैं।

ii. **नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (एनएससीबीएवी)**- समग्र शिक्षा, एनएससीबीएवी नामक मध्यवर्तन के तहत आवासीय सुविधाओं के प्रावधान को समर्थन प्रदान करती है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य छात्राओं , शहरी वंचित और अन्य वंचित छात्रों तक पहुंचना और दूरदराज, कम आबादी वाले और दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों, एलडब्ल्यूई से प्रभावित क्षेत्रों, जंगलों, जलमार्गों, नदियों आदि जैसी प्राकृतिक बाधाओं वाले बड़े निर्जन क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा तक न्यायोचित पहुंच बनाना है। वर्तमान में, समग्र शिक्षा के तहत 1238 आवासीय स्कूल/छात्रावास स्वीकृत हैं।

iii. **प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएमजनमन)** का लक्ष्य 18 राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्रों में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास करना है। इस अभियान में मुख्य मंत्रालयों के साथ अभिसरण में संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाकर इन पीवीटीजी बस्तियों/गांवों में शिक्षा सहित बुनियादी सुविधाओं की परिपूर्णता की परिकल्पना की गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) पीएम जनमन के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। शिक्षा मंत्रालय इस अभियान में भाग लेने वाले मंत्रालयों में से एक है और पीएम-जनमन को इस विभाग की समग्र शिक्षा योजना के साथ अभिसरण में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 से, पीएम-जनमन के तहत 500 छात्रावासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

iv. **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए):** जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) डीएजेजीयूए के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। शिक्षा मंत्रालय अभियान में भाग लेने वाले मंत्रालयों में से एक है और डीएजेजीयूए को इस विभाग की समग्र शिक्षा योजना के साथ अभिसरण में कार्यान्वित किया जा रहा है। डीएजेजीयूए योजना की अवधि वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक है। वर्ष 2024-25 से, डीए-जेजीयूए के तहत 692 छात्रावासों को मंजूरी दी गई है।

v. **आरटीई पात्रता** - समग्र शिक्षा सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के छात्रों को प्रति वर्ष प्रति छात्र औसतन 600 रुपये की लागत पर यूनिफॉर्म के दो सेट प्रदान करती है, जहां भी राज्य सरकारों ने अपने

राज्य आरटीई नियमों में छात्र पात्रता के रूप में स्कूल यूनिफॉर्म के प्रावधान को शामिल किया है।

vi. इसके अलावा, यह विभाग प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री), पीएम पोषण (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण), राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना, उल्लास-नई भारत साक्षरता कार्यक्रम जैसी योजनाओं को भी कार्यान्वित कर रहा है, ताकि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी छात्रों के अधिगम के परिणामों में सुधार करने के लिए समुचित स्कूल अवसंरचना (डिजिटल सहित), शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षक सहायता, पोषण उपलब्ध कराया जा सके।

अनुलग्नक I

शैक्षिक रूप से पिछड़े ज़िले के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री विजय कुमार हाँसदाक द्वारा दिनांक 10/08/2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3622 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

112 आकांक्षी जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिला
1	आंध्र प्रदेश	अल्लूरी सीतामराजू
2	आंध्र प्रदेश	पार्वतीपुरम मान्यम
3	आंध्र प्रदेश	वाई.एस.आर.
4	अरुणाचल प्रदेश	नामसाई
5	असम	गोलपाड़ा
6	असम	बारपेटा
7	असम	हैलाकांडी
8	असम	बक्सा
9	असम	दरांग
10	असम	उदलगुड़ी
11	असम	धुबरी
12	बिहार	सीतामढ़ी
13	बिहार	अररिया
14	बिहार	पूर्णिया
15	बिहार	कटिहार
16	बिहार	मुजफ्फरपुर
17	बिहार	बेगूसराय
18	बिहार	खगड़िया
19	बिहार	बांका
20	बिहार	शेखपुरा
21	बिहार	औरंगाबाद
22	बिहार	गया
23	बिहार	नवादा

क्र.सं.	राज्य	जिला
24	बिहार	जमुई
25	छत्तीसगढ	कोरबा
26	छत्तीसगढ	राजनंदगांव
27	छत्तीसगढ	महासमुंद
28	छत्तीसगढ	कांकेर
29	छत्तीसगढ	नारायणपुर
30	छत्तीसगढ	दंतेवाड़ा
31	छत्तीसगढ	बीजापुर
32	छत्तीसगढ	बस्तर
33	छत्तीसगढ	कोंडागांव
34	छत्तीसगढ	सुकमा
35	गुजरात	दाहोद
36	गुजरात	नर्मदा
37	हरियाणा	मेवात
38	हिमाचल प्रदेश	चंबा
39	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	कुपवाड़ा
40	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला
41	झारखंड	गढ़वा
42	झारखंड	चतरा
43	झारखंड	गिरिडीह
44	झारखंड	गोड्डा
45	झारखंड	साहिबगंज
46	झारखंड	पाकुर
47	झारखंड	बोकारो
48	झारखंड	लोहरदगा
49	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम
50	झारखंड	पलामू
51	झारखंड	लातेहार
52	झारखंड	हजारीबाग
53	झारखंड	रामगढ़

क्र.सं.	राज्य	जिला
54	झारखंड	दुमका
55	झारखंड	रांची
56	झारखंड	खूंटी
57	झारखंड	गुमला
58	झारखंड	सिमडेगा
59	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम
60	कर्नाटक	रायचूर
61	कर्नाटक	यादगीर
62	केरल	वायनाड
63	मध्य प्रदेश	छतरपुर
64	मध्य प्रदेश	दमोह
65	मध्य प्रदेश	बड़वानी
66	मध्य प्रदेश	राजगढ़
67	मध्य प्रदेश	विदिशा
68	मध्य प्रदेश	गुना
69	मध्य प्रदेश	सिंगरौली
70	मध्य प्रदेश	खंडवा
71	महाराष्ट्र	नंदुरबार
72	महाराष्ट्र	वाशिम
73	महाराष्ट्र	गडचिरोली
74	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद/धाराशिव
75	मणिपुर	चंदेल
76	मेघालय	रिभोई
77	मिजोरम	मामित
78	नागालैंड	किफायर
79	ओडिशा	ढेंकनाल
80	ओडिशा	गजपति
81	ओडिशा	कंधमाल
82	ओडिशा	बलांगीर
83	ओडिशा	कालाहांडी

क्र.सं.	राज्य	जिला
84	ओडिशा	रायगढ़
85	ओडिशा	कोरापुट
86	ओडिशा	मल्कानगिरी
87	ओडिशा	नबरंगपुर
88	ओडिशा	नुआपाड़ा
89	पंजाब	मोगा
90	पंजाब	फिरोजपुर
91	राजस्थान	धौलपुर
92	राजस्थान	करौली
93	राजस्थान	जैसलमेर
94	राजस्थान	सिरोही
95	राजस्थान	बारां
96	सिक्किम	सोरेंग
97	तमिलनाडु	विरुधुनगर
98	तमिलनाडु	रामनाथपुरम
99	तेलंगाना	आसिफाबाद
100	तेलंगाना	भूपालपल्ली
101	तेलंगाना	भद्राद्रि-कोठागुडेम/खम्मम
102	त्रिपुरा	धलाई
103	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट
104	उत्तर प्रदेश	फ़तेहपुर
105	उत्तर प्रदेश	बहराईच
106	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
107	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
108	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर
109	उत्तर प्रदेश	चंदौली
110	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र
111	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर
112	उत्तराखंड	हरिद्वार